



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

आषाढ 10, बुधवार, शाके 1937—जुलाई 1, 2015
Asadha 10, Wednesday, Saka 1937—July 1, 2015

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 1, 2015

जी.एस.आर. 45:— भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) नियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का नाम राज्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) (संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये राज-पत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को और से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 9 का संशोधन.— राज्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 9 के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "दस हजार" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सोलह हजार" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[संख्या एफ. 4(21) रानिआ/नियम/विधि/पंरा/2008/457]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

एस.के. सोलंकी,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ.

(PANCHAYATI RAJ)

NOTIFICATION

Jaipur, July 1, 2015

G.S.R. 45 .- In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 243K of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the State Election

Commissioner (Conditions of Service) Rules, 1994, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the State Election Commissioner (Conditions of Service)(Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 9.- In proviso to rule 9 of the State Election Commissioner (Conditions of Service) Rules, 1994, for the existing expression "ten thousand", the expression "sixteen thousand" shall be substituted.

[No.F.4(21)SEC/Rule//Legal/PR/2008/ 457]

By Order and in the name of the Governor,
S.K. Solanki,

Joint Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.